न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

फाईनल डिग्री– 449 सन् 2011

लक्ष्मण पाण्डेय व अन्य.....वादीगण

बनाम

मनोज पाण्डेय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

18.02.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गई है, आज अभिलेख डिक्रीदार की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 08.11. 2019 पर अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

डिक्रीदार का आवेदन में कथन है कि इस वाद में विशेष न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के आलोक में अंतिम डिक्री के माध्यम से बिन्दु करने वास्ते दाखिल किया गया है। मूल बंटवारा मुकदमा नं0 449/ 2011 के अर्जीदावी में दर्ज सिडियुल नं0 1 में खाता नं0 82 खेसरा नं0– 687 रकबा 5 कठा 2 धूर दर्ज होना छूट गया है जिसके कारण प्रारंभिक डिक्री में भी उक्त सर्वे नं0 दर्ज नहीं हो सका है। उक्त सर्वे नं0 फरीकेन के मौरिस रामानंद पाण्डेय के बदलैन से प्राप्त संपत्ति है। प्रस्तावित मरम्मती साधारण प्रकृति का है जिसमें दोनों पक्षों का समान निहित है, इसलिए निर्णित ऋणी का प्रिजूडिश होने का सवाल नहीं उठता है।

अतः न्यायहित में संशोधन आवेदन मंजूर किया जाए।

वादीगण के द्वारा पुनः 08.11.2019 को धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत उपयुक्त आशय का ही आवेदन दाखिल किया गया है। निर्णित ऋणी की ओर से दिनांक 11.12.2019 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें कथन है कि डिक्रीदार की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन मंजूर किये जाने योग्य नहीं है और निर्णित ऋणी को परेशान करने की नियत से दाखिल किया गया है। कानूनी प्रावधानों के तहत व डिक्रीदार का संशोधन वादपत्र में नहीं हुआ है। डिक्रीदार ने अपने आवेदन में यह नहीं लिखा है कि किसी तिथि को संशोधन किया है। निर्णित ऋणी ने अंतिम डिक्री वाद सं0 449/ 2011 को स्थगित करने हेतु विविध वाद सं0 26/ 2016 दाखिल किया है जो लंबित है। अतः डिक्रीदार के संशोधन आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद अंतिम डिक्री की प्राप्ती हेतु डिक्रीदार की ओर से दाखिल किया गया है । विभाजन वाद सं0 449/ 2011 में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2016 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके प्रारंभिक डिक्री बनाने हेतु निर्देश दिया गया था। प्रारंथिक डिक्री में खाता नं0 82 खेसरा नं0– 687 रकबा 5 कठा 2 धूर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वादीगण की ओर से बंटवारा वाद सं0 449/ 2011 के वादपत्र के सिडियुल नं0 1 में खाता नं0 82 सर्वे नं0 687 रकबा 5 कठा 2 धूर के संबंध में कोई विभाजन की मांग नहीं की गई है ऐसी परिस्थिति में

न्यायालय के ओर से खाता नं0 82 सर्वे नं0 687 रकबा 5 कठा 2 धूर के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सका है, चूंकि इस वाद में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पारित किया जा चुका है और वादीगण की ओर से उपर्युक्त वाद में मांगे गए निर्देश के अनुसार प्रारंभिक डिक्री पारित किये जाने का निर्देश दिया गया है अतः विधितः अब पुनः खाता नं0 82 सर्वे नं0 687 रकबा 5 कठा 2 धूर वादपत्र में दर्ज कर अंतिम डिक्री की कार्यवाही को आगे चलना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विभाजन वाद सं0 449/ 2011 में न्यायालय द्वारा सभी वाद बिन्दुओं पर अपन मंतव्य देते हुए निर्णय दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में डिक्रीदार की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है अतः डिक्रीदार की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 08.11.2019 को खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.03.2020

सब जज

सोनपुर सारण।